

## Part-V


(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर को महासमुंद जिले के महासमुंद वन मंडल अंतर्गत 220/132 के. व्ही. उपकेन्द्र परसवानी से 132/125 के. व्ही. रेल्वे कर्षण उपकेन्द्र महासमुंद तक 132 के. व्ही पारेषण लाईन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु आरक्षित वन कक्ष क्र. 67 का कुल 2.37 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 24-8-2017

Place : Raipur

Name -   
Designation - Secretary,  
C.G. Govt.,  
Forest Department